



# मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेय कालोनी, भोपाल-462016

(0755) 2464428, 2466191 Fax: 0755 - 2463742 e-mail: it.mppcb@rediffmail.com

क्रमांक 880/तक/मुप्रनिबो/2021,

भोपाल, दिनांक 1 JUL 2021

// कार्यालय आदेश //

माननीय मंत्रीजी, पर्यावरण विभाग, म.प्र. शासन की अध्यक्षता में दिनांक 08/06/2021 को सम्पन्न समीक्षा बैठक का कार्यवाही विवरण पर्यावरण विभाग के पत्र क्रमांक 482/2021/32-3 भोपाल दिनांक 24/06/2021 के माध्यम से प्राप्त हुआ है (छायाप्रति संलग्न है)।

बोर्ड से संबंधित निर्धारित कार्यवाही में बिन्दु क्रमांक-10 के अनुसार बोर्ड द्वारा जारी की जाने वाली सम्मति पत्रों में वृक्षारोपण की शर्त निहित की जाती है। भविष्य में उद्योग/संस्थान/खदानों को जारी की जाने वाली सम्मति पत्र में वृक्षारोपण की संख्या का स्पष्ट उल्लेख किया जाये तथा इस संबंध में उनके द्वारा पालनार्थ की गई कार्यवाही की जानकारी संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी अनिवार्य रूप से वर्ष में 02 बार निम्नानुसार प्रारूप में उपलब्ध करावें, ताकि प्रदेश में वृहद स्तर पर वृक्षारोपण संबंधी आंकड़े उपलब्ध हो सकें।

## Details of plantation by Industries / Mines etc. as per consent condition

S No	Name and address of Industry/ Mines etc.	Nos. of Plants given in consent condition	Targeted time	Nos. of plants planted in compliance of consent condition	Details of action taken ( If consent condition is not complied )
1					

(ए.ए. मिश्रा)  
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि :-

1. स्टाफ ऑफिसर, अध्यक्ष महोदय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. निज सचिव, सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. समस्त यूनिट हैड, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
4. समस्त क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
5. प्रभारी, आई.टी. शाखा, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल। बोर्ड की वेब-साईट पर प्रदर्शित करने हेतु।



# मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेस कॉलोनी, भोपाल  
(0755) 2464428, 2466191 Fax: {0755} 2463742

कमांक 845 सा0प्र0328/प्रनिबो/2021  
प्रति,

भोपाल, दिनांक

28 JUN 2021

1. श्री पी. के. त्रिवेदी,  
डायरेक्टर पर्यावरण,
2. श्री व्ही. के. अहिरवार,  
डायरेक्टर पर्यावरण,
- ✓ 3. श्री एम. के. मंडसई  
अधीक्षण यंत्री,
4. श्री जी. अम्बुलकर,  
मुख्य रसायनज्ञ,  
म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
भोपाल (म0प्र)।


विषय:- माननीय मंत्रीजी, पर्यावरण की अध्यक्षता में दिनांक 08/06/2021 को संपन्न  
विभागीय समीक्षा बैठक के कार्यवाही विवरण के संबंध में

संदर्भ:- मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग का पत्र कमांक 482/2021/32-3  
भोपाल, दिनांक 24/06/2021

---00---

उपरोक्त विषयान्तर्गत माननीय मंत्रीजी, पर्यावरण विभाग, मध्यप्रदेश शासन की  
अध्यक्षता में दिनांक 08/06/2021 को संपन्न बैठक का कार्यवाही विवरण संलग्न है। कृपया  
कार्यवाही विवरण के आपसे संबंधित बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।



(सुधीर श्रीवास्तव)

प्रशासकीय अधिकारी

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल

प्रतिलिपि :-

पृ0क्र0

सा.प्र./328/प्रनिबो/2021

भोपाल, दिनांक

1. विशेषसहायक, मा. मंत्रीजी, पर्यावरण विभाग मंत्रालय की ओर सूचनार्थ।
2. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग मंत्रालय की ओर सूचनार्थ।

मध्य प्रदेश शासन  
पर्यावरण विभाग  
मंत्रालय

क्रमांक 482/2021/32-3

भोपाल, दिनांक 24 जून, 2021


प्रति,

1/ कार्यपालन संचालक,  
एम्को, भोपाल  
सदस्य सचिव,  
मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
भोपाल

विषय: माननीय मंत्रीजी, पर्यावरण की अध्यक्षता में दिनांक 8/6/21 को संपन्न  
विभागीय समीक्षा बैठक के कार्यवाही विवरण के संबंध में ।

उपरोक्त विषय में माननीय मंत्रीजी, पर्यावरण की अध्यक्षता में दिनांक  
8/6/21 को संपन्न समीक्षा बैठक का कार्यवाही विवरण आवश्यक कार्यवाही हेतु  
संलग्न प्रेषित है ।

संलग्न: यथोपरि ।



(राकेश कुशारे)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

पर्यावरण विभाग

क्रमांक 483/2021/32-3

भोपाल, दिनांक 24 जून, 2021

प्रतिलिपि:




विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, पर्यावरण विभाग की ओर कार्यवाही विवरण  
की एक प्रति संलग्न प्रेषित ।



उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

पर्यावरण विभाग



**माननीय पर्यावरण मंत्री, मध्यप्रदेश शासन द्वारा दिनांक 08/06/2021 को  
आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक के कार्यवाही विवरण**

::00::


माननीय पर्यावरण मंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 08/06/2021 को विभागीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी जिसमें निम्न अधिकारीगण उपस्थित थे :-

1. श्री. मलय श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण विभाग ।
2. श्री श्रीमन शुक्ला, कार्यपालक संचालक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन, भोपाल ।
3. श्री राकेश कुशरे, उप सचिव, पर्यावरण विभाग ।
4. श्री ए.ए. मिश्रा, सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल ।
5. श्री अनूप श्रीवास्तव, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन, भोपाल ।
6. डॉ. अभय सक्सेना, वरि. वैज्ञानिक अधिकारी, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल ।
7. श्री लोकेन्द्र ठक्कर, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन, भोपाल ।

कार्यपालक संचालक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन, भोपाल एवं सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल द्वारा विभागीय समीक्षा के दौरान किए जा रहे कार्यों व प्रस्तावित योजनाओं के बारे में एक प्रस्तुतीकरण दिया गया । समीक्षा के दौरान माननीय मंत्री जी द्वारा निम्नानुसार निर्देश दिए गए :-

**कार्यवाही - पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन, भोपाल**

1. पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन, भोपाल द्वारा अंकुर कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्रीजी के द्वारा दिनांक 5 जून, 2021 को किया गया था, जिसमें अब तक 35000 प्रतिभागियों ने रजिस्ट्रेशन किया जाकर 24000 प्रतिभागियों द्वारा वृक्षारोपण कर प्रथम फोटो अपलोड वायुदूत एप में किया गया । उक्त कार्यक्रम जन अभियान परिषद के माध्यम से संचालित किया जा रहा है । इस योजना हेतु जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर मंदसौर क्षेत्र एवं सभी जिलों की सहभागिता बढ़ाई जाये । इस अंकुर योजना के प्रगति की नियमित जानकारी से माननीय मंत्रीजी को अवगत कराया जाये ।
2. प्राथमिक रूप से मंदसौर स्थित ग्राम सुवासरा के ठोस एवं तरल अपशिष्ट के प्रबंधन हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किये जावे । एफ्को द्वारा सुवासरा विकासखण्ड के अंतर्गत 2 ग्राम रूनीजा एवं धलपट के ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन प्राक्कलित लागत क्रमशः रु. 149.82 लाख तथा रु. 103.72 लाख के तैयार कर जिला पंचायत मंदसौर को सौंपे गये । जिला पंचायत द्वारा उपरोक्त दोनों प्रतिवेदन स्वच्छ भारत मिशन में स्वीकृत हेतु भेजे गये ।
3. प्रदेश स्तर पर वृक्षारोपण के माध्यम से हरियाली बढ़ाने के हरसंभव प्रयास किये जाना हैं, इस संबंध में राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव समाघात प्राधिकरण द्वारा जारी की जाने वाली पर्यावरणीय स्वीकृतियों में वृक्षारोपण संबंधी शर्तें रखी जाती हैं । उन शर्तों के पालन की स्थिति की नियमित समीक्षा की जावे ।
4. पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन, भोपाल द्वारा संचालित जल संरचना संरक्षण योजना (रूपये 2.00 करोड़) में प्रस्तावित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण किया जावे । इस योजना के अंतर्गत यदि अतिरिक्त राशि की

  
राकेश कुशरे)  
उप सचिव  
पर्यावरण विभाग  
मंत्रालय

आवश्यकता है तो उसका प्रस्ताव तैयार कर, अतिरिक्त राशि के प्रावधान हेतु राज्य शासन से अनुरोध किया जाये ।

5. पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन, भोपाल द्वारा संचालित जल संरचना संरक्षण योजना में अभी तक किये कार्यों का प्रगति प्रतिवेदन तैयार कर माननीय मंत्रीजी को अवगत कराया जाये ।

कार्यवाही – मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल

6. कोविड-19 महामारी के दौरान जनित जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निष्पादन नियमानुसार प्रदेश में कार्यरत 13 जैव चिकित्सीय उपचार संयंत्रों द्वारा 2400 मेट्रिक टन जैव अपशिष्ट का निष्पादन किया गया है, तत्संबंध में अद्यतन स्थिति से माननीय मंत्रीजी को अवगत कराया जावे।
7. नॉन अटेनमेंट सिटीज की कार्ययोजना का क्रियान्वयन प्रमुख रूप से नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है । माननीय मंत्रीजी द्वारा निर्देशित किया गया कि इन योजनाओं के तहत किए गए कार्यों के प्रगति की समीक्षा हेतु नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग की संयुक्त बैठक आयोजित की जावे एवं नॉन अटेनमेंट सिटीज की कार्ययोजना में किस तरह के कार्य प्रस्तावित है तथा उन कार्यों हेतु कितनी राशि (कम्पोनेंटवाइज) प्रावधानित/स्वीकृत है, की जानकारी से माननीय मंत्रीजी को अवगत कराया जाये । साथ ही इन कार्ययोजनाओं में वृक्षारोपण किये जाने का प्रावधान है अथवा नहीं से भी अवगत कराया जाये ।
8. नॉन अटेनमेंट सिटीज की कार्ययोजना में प्रस्तावित सभी कार्य निर्धारित समयावधि में प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किये जावे इस बाबत एक नोटशीट माननीय पर्यावरण मंत्रीजी की तरफ से नगरीय विकास एवं आवास विभाग को भेजी जाये ।
9. बोर्ड के प्रयासों से जिन शहरों/औद्योगिक क्षेत्रों में सतत परिवेशीय वायु गुणवत्ता उपकरण स्थापित किये गये हैं, उनकी सूची माननीय मंत्रीजी को उपलब्ध करायी जाये।
10. बोर्ड द्वारा जारी की जाने वाली सम्मति में वृक्षारोपण की शर्त निहित की जा रही हैं । भविष्य में उद्योग/संस्थान/खदानों जारी की जाने वाली सम्मति में वृक्षारोपण की संख्या का स्पष्ट उल्लेख किया जाये । इस संबंध में उनके द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी संबंधित क्षेत्रीय अधिकारियों के माध्यम से प्राप्त की जावे ताकि प्रदेश में वृहद् स्तर पर वृक्षारोपण का कार्य हो सके।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के समाप्त हुई ।

  
(रकेश कुमार)  
उप सचिव  
पर्यावरण विभाग  
मंत्रालय